न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 749 / 26
छातापुर थाना काण्ड सं0– 70 / 23

	1. मो0 अनिशुर रहमान, 2. मो0 अफजल, 3. बीबी नगमा खातुन, 4. हसीना खातुन उर्फ यासमीन प्रवीण.....आवेदकगण **बनाम्** बिहार सरकार.....विपक्षी	
09 / 06 / 26	अभियुक्तगण मो0 अनिशुर रहमान, मो0 अफजल, बीबी नगमा खातुन एवं हसीना खातुन उर्फ यासमीन प्रवीण की ओर से छातापुर थाना काण्ड सं0– 70 / 23 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मो0 एकरामुल हक द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा प्रार्थीगण को आपसी विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप बनावटी व मनगंढंत है। प्रस्तुत वाद का पलटा मुकदमा छातापुर थाना काण्ड सं0 74 / 23 दर्ज कराया गया है प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उभय पक्ष के बीच जमीन संबंधित विवाद है। अनुसंधान पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रार्थी अभियुक्तगण को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है परंतु न्यायालय द्वारा नामजद सभी अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया है। वाद के अन्य सह अभियुक्तों को पूर्व में माननीच उच्च न्यायालय पटना द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गयी है। प्रार्थी अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने, धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों का अनुपालन करने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद सूचक मो0 युसुफ के आवेदन के आधार पर धारा 341, 323, 324, 325, 354, 308, 379, 504, 506, 34 भा.द.वि. के अंतर्गत छातापुर थाना काण्ड सं0 70 / 23 दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 07 / 03 / 23 को समय करीब 10:30 बजे सूचक अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसी समय मो0 अतीक, मो0 सोहराब, हबीउर रहमान एवं मो0 आरिफ हरवे हथियार लाठी डंडा तलवार फरसा के साथ आये और सूचक के घर के पीछे वाला खुट्टा उखाड़ने लगे जिसपर सूचक का बेटा मो0 फारूख ने सभी लोगों को ऐसा करने से रोका तो मो0 आरिफ ने गंदी–गंदी गालिया देते हुए बोला कि देखते क्या हो पकड़ो साले को और जान से मारकर खत्म कर दो। इतना कहने पर ही मो0 सोहराब ने लोहे के रॉड से उसके गर्दन पर प्रहार किया जिससे फारूख बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसे मारता देख उसकी पतोहु समीना खातुन दौड़कर बचाने गयी तो हबीउर रहमान ने बुरी नियत से उसे पकड़ लिया और बदन का कपड़ा खिंचकर अर्द्धनग्न कर दिया और छेड़खानी करने लगा विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से तलवार से सर पर वार किया जो ऑख के निचे नाक तक काफी कट गया, काफी खून बहने लगा। उसे बचाने	लगातार....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 749 / 26
छातापुर थाना काण्ड सं0– 70 / 23

09 / 06 / 26 लगातार	सूचक का पोता मो0 अलीशेर भी आया तो उक्त मो0 अतीक ने जान से मारने की नीयत से फरसा से सर पर प्रहार किया जिससे सर काफी कट गया काफी खून बहने लगा। उसी क्रम में मो0 अनीसुर रहमान, मो0 अफजल, मो0 आसीफ, मो0 खालीद, नगमा खातुन एवं हसीना खातुन भी हरवे हथियार के साथ आये और मारपीट करने लगे एवं मो0 अफजल ने रंगदारी करते हुए बोला कि साला हम सब को रोकने आयेगा तो जान से मारकर यही दफन कर देंगे एवं उसी मारपीट के क्रम में सूचक के पतोहु के गले से चांदी का चेन 10 भरी का और उसके बेटा से नगद 75,000रू मो0 आरिफ ने छीन लिया। मो0 खालिद ने धमकी देने लगा कि तुमलोग को जान से मारकर गायब कर देंगे। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचक एवं उसके पोता व पुतोहु के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जख्मी करने एवं जेवर व पैसा छीनने का आरोप है तथा अभियुक्त मो0 खालिद पर धमकी देने का आरोप है। अभिलेख से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच जमीनी विवाद है तथा जमीनी विवाद को लेकर उभय पक्ष के बीच मारपीट हुई और दोनों पक्ष को चोट लगी और जख्मी हुए है। काण्ड दैनिकी की 48, 49 एवं 50 जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन वर्णित है परंतु अनुसंधान पश्चात अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रार्थी अभियुक्तगण को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है परंतु न्यायालय द्वारा नामजद सभी अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया है। प्रस्तुत वाद का पलटा मुकदमा छातापुर थाना काण्ड सं0 74 / 23 द्वारा दर्ज कराया गया है। वाद के अन्य सह–अभियुक्तों को पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय पटना के क्रि0 मिस0 नं0 69053 / 23 एवं 66950 / 23 द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गयी है तथा जमानत आवेदन के कंडिका–3 के अनुसार प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण मो0 अनिशुर रहमान, मो0 अफजल, बीबी नगमा खातुन एवं हसीना खातुन उर्फ यासमीन प्रवीण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार आदेश प्राप्ति / प्रस्तुती के चार सप्ताह के अंदर प्रार्थी आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर या निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर मो0 20,000/- के दो–दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित ह0 / – (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	